न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 55/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **इण्डियन जैन्टस पार्लर जरिए प्रो. दिलीप कुमार पुत्र मूल चन्द,** निवासी वार्ड नं. 19, धोद रोड़ सीकर, तहसील व जिला सीकर 332001
2. **दिलीप कुमार पुत्र मूल चन्द,** जाति नाई निवासी वार्ड नं. 19, धोद रोड, टंकी के पास, सीकर, तहसील व जिला सीकर 332001
3. **चन्दा देवी पत्नी मूल चन्द,** जाति नाई निवासी वार्ड नं. 19, धोद रोड़, टंकी के पास, सीकर, तहसील व जिला सीकर 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 14.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **इण्डियन जैन्टस पार्लर जरिए प्रो. दिलीप कुमार पुत्र मूल चन्द, दिलीप कुमार पुत्र मूल चन्द** एवं **चन्दा देवी पत्नी मूल चन्द** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **चन्दा देवी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड संख्या 12, विनायक विहार सेक्टर–डी (द्वितीय), धोद रोड़, ख. नं. 1237, सीकर, तहसील व जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 114.16 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 25 फीट, पश्चिम दिशा में जमीन दीगर, उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या 13 एवं दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 11 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 10,50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.02.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.02.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **इण्डियन जैन्टस पार्लर जरिए प्रो. दिलीप कुमार पुत्र मूल चन्द, दिलीप कुमार पुत्र मूल चन्द** एवं **चन्दा देवी पत्नी मूल चन्द** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **चन्दा देवी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड संख्या 12, विनायक विहार सेक्टर–डी (द्वितीय), धोद रोड़, ख. नं. 1237, सीकर, तहसील व जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 114.16 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 25 फीट, पश्चिम दिशा में जमीन दीगर, उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या 13 एवं दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 11 है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर